नियमपुस्तिका के पृष्ठ क्रं. 06 के बिन्दु क्रं. 10 को निम्नानुसार पढ़ा जाये :-

10. पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हताएं :-

(1) अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा मण्डल को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूहों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित **शैक्षणिक अर्हता** अनिवार्य होंगी, अर्थात् -

समूह - चार

क	अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण पत्र हों, साथ ही **शासन द्वारा अधिकृत संस्था मैप-आई.टी. द्वारा जारी दक्षता प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) हो,** आशुलिपिक के लिये अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा परिषद् से अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो और स्टेनोटायपिस्ट के लिये अभ्यर्थी के पास सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर यथा मान्य अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्रलेखन में 80 शब्द प्रतिमिनट की गति हो।
ख	अनुरेखक, इलेक्ट्रीषियन, सहायक मैकेनिक, कारपेन्टर एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु अभ्यर्थियों ने हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास आई.टी.आई. सें संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र हो,